

कोरोनोवायरस द्वारा पैदा किए असाधारण हालात की वजह से अब बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और इसलिए रोजगार से संबंधित असाधारण स्थितियां और सवाल भी। नीचे कुछ सबसे ज़्यादा आम पूछे सवालों के जवाब दिए गए हैं। इन जवाबों में बाद के चरण में बदलाव आ सकता है।

1. *क्या मेरा मालिक मुझे जबरन छुट्टी पर तुरंत भेज सकता है?*

यदि आपके मालिक को दूकान बंद करनी पड़ती है या अपने कर्मचारियों की संख्या को कम करने की जरूरत पड़ती है, तो आपको अस्थायी रूप से (टेम्पोररीली) छुट्टी पर भेजा जा सकता है, मतलब के आपको बिना तनखा वाली छुट्टियों पे भेज दिया जाए जिसके दौरान आप व्यावहारिक रूप से बेरोजगार हैं। मालिक की जिम्मेदारी है के वो बर्खास्तगी के नोटिस वाले दिन से अगले 5 दिनों तक सामान्य वेतन का भुगतान करे (आमतौर पर नोटिस की अवधि 14 दिन होती है, अब कोरोनावायरस के कारण 5)। सिद्धांतक रूप में, 20 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी, सह-निर्धारण वार्ता के बिना एक ले-ऑफ की घोषणा कर सकती है, जबकि 20 से अधिक कर्मचारियों वाले मालिकों को पहले सह-निर्धारण वार्ता आयोजित करनी चाहिए। ले-ऑफ की सूचना हमेशा लिखित रूप से दी जानी चाहिए जिसमें छुट्टियों की लंबाई का अंदाज़ा हो

2. *किन परिस्थितियों में मेरा मालिक मेरे रोजगार को समाप्त कर सकता है या उदाहरण के लिए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बदल दे ताकि मैं मासिक वेतन से प्रति घंटा वेतन पर आ जायूं?*

मालिक कर्मचारी को उसी स्थिति में खारिज कर सकता है जैसे कि आम स्थिति में, यानी कानूनी आधार के बिना बर्खास्तगी अभी भी संभव नहीं है। **यह अस्थायी असाधारण स्थिति केवल ले-ऑफ करने का हक देती है और बर्खास्तगी के लिए नहीं।** काम से निकालने के नोटिस के दौरान (1 महीना या 5 साल से अधिक काम के लिए 2 महीने), सामान्य वेतन देना होगा। यदि कर्मचारी एक ट्रायल पीरियड पर है (यानी ट्रायल पीरियड की सहमति काम के कॉन्ट्रैक्ट में दर्ज है), रोजगार तुरंत और बिना कारण के समाप्त किया जा सकता है जैसे सामान्य परिस्थितियों में होता है। मालिक आपका काम करने का कॉन्ट्रैक्ट बदल नहीं सकता, उदाहरण के तौर पे पार्ट टाइम घंटों के वेतन पर अगर आपके पास पहले महीने की तनखा थी। यदि कोरोना की स्थिति के कारण काम के घंटे कम करने पड़ते हैं, तो इसे पार्ट-टाइम ले-ऑफ के रूप में किया जा सकता है। ऐसे में, आपकी 5-दिन की ले-ऑफ अवधि लागू होगी, जिसके दौरान आपको तनखा नार्मल ही मिलेगी और आपके लिखित प्रमाण पत्र में दर्ज होगा के क्या आप पार्ट टाइम ले-ऑफ पर है (उदाहरण के लिए 8 घंटे के बजाय 4 घंटे काम कर रहे हैं) या कुछ खास दिनों के लिए छुट्टी दी गयी है (जैसे सोम-शुक्र की जगह आप काम करें सिर्फ सोम-बुध) **इसलिए एक नए काम के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर न करें।**

3. *क्या मेरा मालिक मुझे 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 दौरान जमा हुई साल की छुट्टियाँ लेने के लिए मजबूर कर सकता है?*

**नहीं कर सकते।** आपको हक है के आप अपनी सालाना छुट्टियां छुट्टियों के मौसम में 2.5 से 30.9 के दौरान लें।

4. *मैं क्या करूँ अगर मुझे काम से निकाल दिया जाता है या फिर जबरन छुट्टियों पे भेजा जाता है ?*

तुरंत TE दफ्तर में खुद को बेरोजगार दर्ज कराएँ। यूरोपीय संघ के देशों के नागरिक इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। 15 दिनों के तनखा वाले ले-ऑफ नोटिस के बाद आप कानूनी रूप से बेरोजगारी भत्ते के हकदार हैं।

आप इसे केला(KELA) से ले सकते हैं या बेरोजगारी बीमा कोष से अगर 14 दिनों के लिए बेरोजगार / जबरन छुट्टियों पे भेजे गए हों (यानी बर्खास्तगी या ट्रायल पीरियड की समाप्ति वाले नोटिस के 19 दिन बाद / 1 या 2 महीने और 5 दिनों के बाद काम से बर्खास्त करने के बाद ट्रायल पीरियड के इलावा) यही बात पार्ट-टाइम ले-ऑफ पर भी लागू होती है। यदि आपका मालिक एक बार में 10 या अधिक कर्मचारी जबरन छुट्टी पे भेज देता है, तो उसे ले-ऑफ के बारे में रोजगार दफ्तर को सूचित करना पड़ेगा और कर्मचारियों को अपने आप ऑटोमेटिकली बेरोजगार के रूप में देखा जाएगा।

5. अगर मैंने अपना काम और कमाई कोरोना की वजह से खो दी है तो उसका मेरे वर्क-परमिट के बिना पे रिहाइश या मेरे परिवार के साथ रिश्ते के तौर पर रहने के परमिट पर कैसा असर पड़ेगा?

इस बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। इमीग्रेशन दफ्तर उदाहरण के लिए पारिवारिक संबंधों के परमिट के लिए आमदनी के साधन के तौर पे सिर्फ बेरोज़गारी गारंटी को ही ध्यान में लेता है अगर वो बेरोज़गारी फंड ( उदाहरण के लिए; PAM, YTK) द्वारा मिलता है। इमीग्रेशन दफ्तर केला से मिले बेरोज़गारी भत्ते पे गौर नहीं करता।

6. अगर मेरे और सवाल हों या फिर ऊपर बताये मसले मेरे मामले में लागू न हो तो मैं क्या करूँ?

यदि आप ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं और फिनिश या अंग्रेजी बोलते हैं, तो आप फ़ोन के ज़रिये यूनियन की हॉटलाइन से संपर्क कर सकते हैं। भले ही आप ट्रेड यूनियन के सदस्य न हों, फिर भी उन्हें ई-मेल लिखें या SAK में इमिग्रेंट के लिए रोज़गार सम्बन्धी जानकारी देने वाले फ़ोन पर कॉल करें

(संपर्क करें: <https://www.sak.fi/tyoelama/maahanmuuttajat>)

यदि आप फिनिश, स्वीडिश या अंग्रेजी नहीं बोलते हैं और आपको अपने सवाल का जवाब ऊपर लिखे जवाबों में से नहीं मिला है, तो आप help@riku.fi पर अपना सवाल भेज सकते हैं और हम उसके जवाब का पता रोज़गार संबंधी जानकारी से मिलके लगाएंगे। पर इस बात का ध्यान रहे के जवाब देने में लंबा समय लग सकता है, क्योंकि आजकल रोज़गार के मामले में सलाह देने वाला दफ्तर और ट्रेड यूनियन बहुत व्यस्त हैं।

शुभकामनाओं सहित,